भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2972

08 अगस्त, 2024 को उत्तरार्थ

झारखंड के गांवों का विद्युतीकरण

2972. श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल:
श्रीमती हिमाद्री सिंह:
श्री दुलू महतो:
श्री जनार्दन मिश्रा:
श्री विवेक ठाकुर:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वर्ष 2014 से अब तक झारखंड के विशेषकर धनबाद जिले के गांवों के विद्युतीकरण में तेजी लाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम की भावी रूपरेखा सहित स्थिति और ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2014 से अब तक गांवों में प्रतिदिन उपलब्ध बिजली की मात्रा में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) मध्य प्रदेश राज्य में विद्युतीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क), (ख) और (घ) : भारत सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की। इस स्कीम के अंतर्गत, देश में सभी संगणना गांवों का विद्युतीकरण किया गया। झारखंड और मध्य प्रदेश राज्यों सहित विद्युतीकृत गांवों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) (2017-2019) के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब परिवारों का विद्युतीकरण किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर सौभाग्य योजना की अवधि के दौरान कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया (झारखंड

और मध्य प्रदेश राज्यों सहित राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-II** पर दिया गया है)। सौभाग्य और डीडीयूजीजेवाई स्कीम क्रमशः 2019 और 2022 में बंद कर दी गईं।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से संसोधित वितरण क्षेत्र स्कीम(आरडीएसएस) शुरू की। इस स्कीम में वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक पाँच वर्षों की अवधि में 97,631 करोड़ रुपये के सकल बजटीय समर्थन के साथ 3,03,758 करोड़ रुपये का परिव्यय है। इस स्कीम के अंतर्गत वितरण अवसंरचना कार्यों और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 2.62 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई है। स्कीम के अंतर्गत वितरण अवसंरचना कार्यों और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 2.62 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं। इसमें सौभाग्य के दौरान छूटे हुए घरों का विद्युतीकरण कार्य और पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महाअभियान) के तहत चिन्हित किए गए सभी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के आवासों/घरों का विद्युतीकरण कार्य भी शामिल है।

झारखंड और मध्य प्रदेश राज्यों सहित स्वीकृत घरेलू विद्युतीकरण कार्यों का राज्य-वार ब्यौरा तथा स्थिति **अनुबंध-III** में दी गई है।

डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य योजनाओं के अंतर्गत झारखंड जिला के धनबाद में कुल 74 गैर-विद्युतीकृत संगणना गांवों का विद्युतीकरण किया गया और 35,871 घरों का विद्युतीकरण किया गया। इसके अतिरिक्त धनबाद, झारखंड जिला के लिए आरडीएसएस के अंतर्गत 31 पीवीटीजी घरों के विद्युतीकरण कार्यों को संस्वीकृति दी गई है।

इसके अतिरिक्त, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने प्रधानमंत्री जनमन के अंतर्गत पीवीटीजी बस्तियों/गांवों के लिए नई सौर ऊर्जा स्कीम को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 5067 घरों को ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युतीकरण के लिए संस्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत, झारखंड के धनबाद जिले के लिए किसी भी घर को संस्वीकृति नहीं दी गई है।

(ग) : वर्तमान में, राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की औसत उपलब्धता वर्ष 2015 में 12.5 घंटे से बढ़कर वर्ष 2024 में 21.9 घंटे हो गई है।

लो.स.अतारां.प्र.सं-2972

अनुबंध-I

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकृत गांवों की राज्य-वार संख्या

क्रम सं.	राज्य	डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1	अरूणाचल प्रदेश	1483
2	असम	2732
3	बिहार	2906
4	छत्तीसगढ़	1078
5	हिमाचल प्रदेश	28
6	जम्मू एवं कश्मीर	129
7	झारखंड	2583
8	कर्नाटक	39
9	मध्य प्रदेश	422
10	महाराष्ट्र	80
11	मणिपुर	366
12	मेघालय	1051
13	मिजोरम	54
14	नागालैंड	78
15	ओडिशा	3281
16	राजस्थान	427
17	त्रिपुरा	26
18	उत्तर प्रदेश	1498
19	उत्तराखंड	91
20	पश्चिम बंगाल	22
	कुल	**18,374**

लो.स.अतारां.प्र.सं-2972

अनुबंध-II

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अतिरिक्त घरों की उपलब्धि सहित सौभाग्य स्कीम के शुभारंभ के बाद से विद्युतीकृत घरों की संख्या:

क्रम सं.	राज्यों के नाम	विद्युतीकृत घरों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश*	1,81,930
2	अरूणाचल प्रदेश	47,089
3	असम	23,26,656
4	बिहार	32,59,041
5	छत्तीसगढ़	7,92,368
6	गुजरात*	41,317
7	हरियाणा	54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891
9	जम्मू एवं कश्मीर	3,77,045
10	झारखंड	17,30,708
11	कर्नाटक	3,83,798
12	लद्दाख	10,456
13	मध्य प्रदेश	19,84,264
14	महाराष्ट्र	15,17,922
15	मणिपुर	1,08,115
16	मेघालय	2,00,240
17	मिजोरम	27,970
18	नागालैंड	1,39,516
19	ओडिशा	24,52,444
20	पुद्दुचेरी*	912
21	पंजाब	3,477
22	राजस्थान	21,27,728
23	सिक्किम	14,900
24	तमिलनाडु*	2,170
25	तेलंगाना	5,15,084
26	त्रिपुरा	1,39,090
27	उत्तर प्रदेश	91,80,571
28	उत्तराखंड	2,48,751
29	पश्चिम बंगाल	7,32,290
कुल		**2,86,13,424**

***सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत वित्त पोषित नहीं हैं।**

लो.स.अतारां.प्र.सं-2972

अनुबंध-III

आरडीएसएस के अंतर्गत विद्युतीकरण (पीवीटीजी+अतिरिक्त परिवार+वाईब्रेंट विलेज कार्यक्रम)

क्र.सं.	राज्य के नाम	स्वीकृत परिव्यय (करोड़ रु.)	स्वीकृत जीबीएस (करोड़ रु. में)	कुल स्वीकृत परिवार	18.07.2024 तक विद्युतीकृत परिवार
क.	**आरडीएसएस के अंतर्गत स्वीकृत अतिरिक्त घर**				
1	राजस्थान	459.18	275.51	190,959	62,160
2	मेघालय	435.70	392.13	50,501	0
3	मिजोरम	68.94	62.04	13,715	0
4	नागालैंड	65.10	58.59	10,398	0
5	उत्तर प्रदेश	931.04	558.62	251,487	0
6	आंध्र प्रदेश	49.24	29.54	15,475	11,384
7	झारखण्ड	7.47	4.48	872	0
8	जम्मू और कश्मीर	14.96	13.46	1,936	0
9	बिहार	119.57	71.74	21,658	0
10	असम	785.55	706.99	127,111	0
	जोड़ (क)	**2,936.75**	**2,173.12**	**684,112**	**73,544**
ख.	**वाईब्रेंट विलेज में आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत विद्युतीकरण कार्य**				
1	हिमाचल प्रदेश	6.08	5.47	3,536	0
2	अरुणाचल प्रदेश	20.18	18.16	1,683	0
3	उत्तराखंड	13.08	11.77	1,154	0
	जोड़ (ख)	**39.34**	**35.40**	**6,373**	
ग.	**पीएम जनमन के अंतर्गत ग्रिड कनेक्टिविटी के माध्यम से घरेलू विद्युतीकरण**				
	आरडीएसएस के अंतर्गत स्वीकृत				
1	आंध्र प्रदेश	88.71	53.23	25,054	22,245
2	छत्तीसगढ़	38.17	22.90	7,077	3,172
3	झारखण्ड	53.39	32.03	9,134	0
4	मध्य प्रदेश	136.07	81.65	27,358	7,517
5	महाराष्ट्र	26.61	15.96	8,556	8,556
6	राजस्थान	40.34	24.20	17,633	9,815
7	कर्नाटक	3.77	2.26	1,615	811
8	केरल	0.86	0.52	345	303
9	तमिल नाडु	29.89	17.94	10,673	4,781
10	तेलंगाना	6.79	4.07	3,884	3,862
11	त्रिपुरा	61.52	55.37	11,664	2,367
12	उत्तराखंड	0.41	0.37	221	667
13	उत्तर प्रदेश	1.10	0.66	316	157
	जोड़ (ग)	**487.63**	**311.15**	**123,530**	**64,253**
	कुल जोड़ (क+ख+ग)	**3,463.72**	**2,519.67**	**814,015**	**137,797**

****